



2026:AHC:164566

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या - 27408 वर्ष 2026

मुस्तफा

.....आवेदनकर्ता(गण)

बनाम

उ. प्र. राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदनकर्ता(गण) के अधिवक्ता : मो. नौशाद, सय्यद इरफ़ान अली

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए., राम लखन देओबंशी, सोनिया कुलश्रेष्ठ

न्यायालय संख्या - 65

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

1. अधिवक्ता श्री राम लखन देववंशी ने न्यायालय को बताया कि कल उन्होंने शिकायतकर्ता की ओर से इस न्यायालय के कार्यालय में अपना वकालतनामा दाखिल किया था, इसलिए वाद सूची में उनका नाम नहीं दिख सका।
2. आवेदक के अधिवक्ता श्री सैयद इरफ़ान अली, शिकायतकर्ता के अधिवक्ता श्री राम लखन देववंशी और राज्य की ओर से एजीए-1 डॉ. एस.बी. मौर्य के तर्क सुने गए।
3. यह ज़मानत प्रार्थना-पत्र आपराधिक वाद संख्या 177/2023 (पुलिस थाना पिपरी, ज़िला कौशाम्बी) में विचारण के दौरान आवेदक को ज़मानत पर रिहा करने के लिए दाखिल की गई है। यह वाद भादंस की धाराओं 302, 325, 323, 506 के तहत दर्ज है।
4. आवेदक के अधिवक्ता का कहना है कि प्राथमिकी जो 10.06.2023 को दर्ज हुई थी में अन्य लोगों के साथ आवेदक का नाम भी था, लेकिन जांच के दौरान उसकी भूमिका झूठी पाई गई

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



और उसके खिलाफ कोई आरोप पत्र दाखिल नहीं किया गया। हालांकि, विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों के आधार पर उसे 26.08.2025 को दं.प्र.सं. की धारा 319 के तहत समन भेजा गया।

5. उन्होंने आगे कहा कि आवेदक ने दं.प्र.सं. की धारा 319 के तहत अपने खिलाफ पारित आदेश को इस न्यायालय में चुनौती दी थी, लेकिन उसका प्रार्थना-पत्र अभी भी लंबित है और इसी बीच उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

6. उन्होंने आगे कहा कि प्राथमिकी और विचारण न्यायालय के सामने दर्ज साक्षियों के बयानों से भी पता चलता है कि उन्होंने आवेदक सहित सभी आरोपियों की भूमिका को केवल सामान्य बताया है।

7. उन्होंने आगे कहा कि सह-आरोपी हुस्ना बानो और सलमा बानो को भी इस मामले की प्राथमिकी में सामान्य आरोपों के आधार पर आरोपी बनाया गया था और उन्हें इस न्यायालय की संबंधित पीठ ने जमानत पर रिहा कर दिया है; उनके जमानत आदेश पत्रावली के पृष्ठ 99 और 101 पर संलग्न हैं।

8. उन्होंने आगे कहा कि प्राथमिकी में आवेदक के साथ-साथ सह-आरोपी कुरैश और वैश को भी आरोपी बनाया गया था और उनके खिलाफ आरोप पत्र भी दाखिल किया गया था। हालांकि शुरू में उनके पहले जमानत प्रार्थना-पत्रों को खारिज कर दिया गया था, लेकिन बाद में इस न्यायालय की संबंधित पीठ ने उनके दूसरे जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर लिए और उनके जमानत के आदेश पत्रावली के पृष्ठ 104 और 106 पर संलग्न हैं।

9. उन्होंने आगे कहा कि चूँकि जाँच के दौरान आवेदक की संलिप्तता झूठी पाई गई थी, इसलिए आवेदक का मामला ऊपर बताए गए आरोपियों की तुलना में बेहतर स्थिति में है।

10. उन्होंने आगे कहा कि हालांकि, मौजूदा मामले के अलावा आवेदक का एक और आपराधिक इतिहास है जो 2015 के मामले से संबंधित है, लेकिन वह मामला भी मृतक के पिता द्वारा दर्ज कराया गया था। यह तथ्य फिर से बताता है कि शिकायतकर्ता पक्ष आवेदक का बहुत बड़ा दुश्मन है और पुरानी दुश्मनी के कारण ही आवेदक को इस मामले में दूसरों के साथ आरोपी बनाया गया है।



11. उन्होंने आगे कहा कि इसलिए, मामले के तथ्यों को देखते हुए आवेदक को ज़मानत पर रिहा किया जा सकता है।

12. इसके विपरीत, विद्वान एजीए और शिकायतकर्ता के अधिवक्ता ने ज़मानत की प्रार्थना-पत्र का विरोध किया और कहा कि असल में मौजूदा मामले के अलावा आवेदक का तीन अन्य मामलों में आपराधिक इतिहास है। हालाँकि, उन्होंने ईमानदारी से माना कि तीन मामलों में से दो मामले एनसीआर पर आधारित थे, लेकिन उन्होंने कहा कि सभी मामलों में आवेदक के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किये गए हैं। फिर भी, वे आवेदक के अधिवक्ता द्वारा तथ्यों के आधार पर दिए गए अन्य तर्कों का खंडन नहीं कर सके।

13. मैंने दोनों पक्षों को सुना है और मामले के अभिलेख को देखा है।

14. इससे पता चलता है कि प्राथमिकी में आवेदक का नाम पाँच अन्य लोगों के साथ था, लेकिन जाँच के दौरान उसकी संलिप्तता झूठी पाई गई और उसके खिलाफ कोई आरोप पत्र दाखिल नहीं किया गया। इससे यह भी पता चलता है कि विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान के बाद आवेदक को दं.प्र.सं. की धारा 319 के तहत समन भेजा गया था।

15. अभिलेख से यह भी पता चलता है कि दं.प्र.सं. की धारा 319 के तहत जारी समन आदेश के खिलाफ आवेदक इस न्यायालय में आया था, लेकिन पता चलता है कि उसका प्रार्थना-पत्र लंबित रहने के दौरान ही उसे 16.05.2026 को गिरफ्तार कर लिया गया और तब से वह जेल में है। 16. इसके अलावा, प्राथमिकी और गवाहों के बयानों (जिनमें एक घायल गवाह का बयान भी शामिल है) से पता चलता है कि उन्होंने सभी आरोपियों, जिनमें याचिकाकर्ता भी शामिल है, की भूमिका को केवल सामान्य बताया है।

17. साथ ही, अभिलेख से यह भी पता चलता है कि याचिकाकर्ता के साथ-साथ सह-आरोपी हुस्ना बानो और सलमा बानो को भी प्राथमिकी में आरोपी बनाया गया था और उनके खिलाफ आरोप पत्र भी दाखिल किया गया था; उन्हें इस न्यायालय ने ज़मानत पर रिहा कर दिया है। हालाँकि वे महिलाएँ हैं, लेकिन मारपीट के आरोप के मामले में याचिकाकर्ता का मामला उनके मामले के समान ही है।

18. इसके अलावा, अभिलेख से यह भी पता चलता है कि याचिकाकर्ता और सह-आरोपी हुस्ना बानो और सलमा बानो के साथ-साथ सह-आरोपी कुरैश और वैश को भी प्राथमिकी में आरोपी



बनाया गया था और जाँच के बाद उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल की गई थी। हालाँकि उनकी पहली ज़मानत याचिकाएँ इस न्यायालय की संबंधित पीठ ने खारिज कर दी थीं, लेकिन उनकी दूसरी ज़मानत याचिकाएँ स्वीकार कर ली गई हैं। चूँकि मारपीट के आरोप के संबंध में सभी आरोपियों की भूमिका को केवल सामान्य बताया गया है, इसलिए याचिकाकर्ता का मामला उनके मामले के समान ही है।

19. इसके अलावा, एजीए और शिकायतकर्ता के अधिवक्ता के अनुसार, इस मामले के अलावा आवेदक का तीन अन्य मामलों में आपराधिक इतिहास रहा है, लेकिन उनके अनुसार भी दो मामले एनसीआर पर आधारित थे।

20. साथ ही, यह भी देखा गया है कि तीनों मामले मृतक के परिवार के सदस्यों द्वारा दर्ज कराए गए थे। इसके अलावा, इस न्यायालय की राय में, आरोपों की प्रकृति, आवेदक के आपराधिक इतिहास और मामले के तथ्यों को देखते हुए, केवल इस आधार पर आवेदक के ज़मानत प्रार्थना-पत्र को रोकना उचित नहीं है।

21. इसलिए, ऊपर चर्चा किए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, मेरी राय में, आवेदक ज़मानत पर रिहा होने का हकदार है।

22. तदनुसार, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, वर्तमान ज़मानत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है।

23. आवेदक - मुस्तफ़ा को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार उतनी ही राशि का व्यक्तिगत बंधपत्र और दो ज़मानतदार पेश करने पर उक्त मामले में ज़मानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते निम्नलिखित शर्तें पूरी हों:-

(i) आवेदक तय तारीखों पर विचारण न्यायालय के समक्ष पेश होगा, जब तक कि उसे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से छूट न दी गई हो।

(ii) आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के सामने ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

(iii) आवेदक किसी भी आपराधिक और असामाजिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा।



24. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में, अभियोजन पक्ष आवेदक की ज़मानत निरस्त करने के लिए इस न्यायालय के समक्ष प्रार्थना-पत्र देने के लिए स्वतंत्र होगा।

25. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां ज़मानत प्रार्थना-पत्र के निस्तारण से संबंधित पक्षों द्वारा लाए गए तथ्यों तक ही सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का विचारण के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

(न्यायमूर्ति समीर जैन)

6 अगस्त, 2026

एके पाण्डेय